

सं० 5(6)/2009-एम एस एम ई नीति
भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
विकास आयुक्त(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)का कार्यालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली -110108

दिनांक 4 जून 2009

विषय: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत क्रिया-कलापों का विनिर्माण या सेवा के अंतर्गत वर्गीकरण ।

इस कार्यालय को क्रिया-कलापों को विनिर्माण या सेवा के अंतर्गत वर्गीकरण पर स्पष्टीकरण के लिए संदर्भ प्राप्त हुए हैं । इन सभी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के प्राक्धानों के अंतर्गत जोड़ने के उपरांत यह स्पष्ट किया जाता है:

A) Activities considered as manufacturing:

- i) Medical Equipment and Ayurvedic Product
- ii) Composite unit of Bacon Processing and Piggery Farm
[Piggery Farm without bacon processing shall not be classified either as manufacturing or as service enterprise because this is a farming activity]
- iii) Tobacco Processing
- iv) Beedi/Cigarette manufacturing and other tobacco product
- v) Extraction of agave Spirit from Agave juice (imported medicinal plant) extraction of Agave
- vi) Manufacture of Bio-fertilizer

B) Activities considered as Service:

- i) Sanitation Services (Hiring of Septic Tank Cleaner)
- ii) Clinical/Pathological Laboratories and scanning, MRI Tests
- iii) Hospitals
- iv) Agri-clinic and Agri-Business
- v) Restaurants with Bar
- vi) Canteens
- vii) Hotels
- viii) Motel Industry

2. The activity of " Bee-Keeping" is a farming allied activity and therefore, would not be covered in either manufacturing or service activity.

3. यह स्पष्टीकरण पिछले सभी स्पष्टीकरणों का स्थान लेगा ।



(योगेंद्र सिंह)


उप निदेशक (सू०ल०म०उ० नीति)

1. प्रधान सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मामलों के प्रभारी, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र ;
2. अध्यक्ष, नाबाड, मुंबई ;
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी, लखनऊ ;
4. अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ, मुंबई ;

5. डाय गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई ;
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वाणिज्य बैंक एवं वित्तीय संस्थान, राज्य वित्तीय निगम सहित-ढाक सूचि अनुसार;
7. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी, नई दिल्ली ;
8. आयुक्त/निदेशक (उद्योग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मामलों के प्रभारी, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र ;
9. निदेशक/उपनिदेशक प्रभारी, एमएसएमई डी आई/ शाखा एमएसएमई डी आई, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र;
10. अध्यक्ष, एमएसएमई एसोसिएशनस्, ढाक सूचि अनुसार;
11. अध्यक्ष, आई सी ए आई, पो० ब० न० 7100, आई सी ए आई भवन, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली - 110104

Copy to:

Shri Vishal Suji, B-55, G.T. Karnal Road, Industrial Area, Delhi-110033- for information
w.r.t. their letter dated 14.3.2009.



(पूजाके० सिन्हा)



N.O.O.

Copy to : Dy. Director, SENET, O/o DC(MSME)For placing the same on office's website.